उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग
संख्याः 969 /VIII/16–91(श्रम)/2008
देहरादून, दिनाँकः 14 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्याः 63 सन 1948) की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से राज्य में कार्यरत समस्त कारखाना/कंपनियों को लोकहित में तीन वर्ष की अवधि के लिए, महिला कर्मकार के नियोजन के संबंध में निम्नवत् छूट प्रदान करते हैं। इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना सं॰ GI 64/VIII/16–91 (श्रम)/ 2008 दिनांक 13.07.2016 एतद्द्वारा विखण्डित समझी जायेगी।

2. उपरोक्त छूट निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1. किसी महिला कर्मकार से रात्रि 10 बजे और प्रातः 5 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी और न ही इसकी अनुमति दी जायेगी।
2. किसी महिला कर्मकार से किसी भी कार्यदिवस में 9 घण्टे से अधिक और किसी सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। (धारा–54 एवं धारा–59)
3. यदि किसी महिला कर्मकार को सायं 7 बजे और रात्रि 10 बजे के मध्य तथा प्रातः 5 बजे और प्रातः 8 बजे के बीच किसी समय कार्य करने के लिए बुलाया जाय तो कारखाने का नियोजक, उसे उसके निवास स्थान से कारखाने तक लाने, ले जाने के लिए कारखाने के व्यय पर आवश्यक प्रबंध करेगा।
4. यदि कोई महिला कर्मकार प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तथा सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि के दौरान कार्य करने से इंकार करे, तो नियोजक उसे केवल इस कारण से नियोजन से नहीं हटायेगा कि उसने उक्त अवधि के दौरान कार्य करने से इंकार कर दिया।
5. नियोजक ऐसी समस्त महिला कर्मकारों को मध्याह्न/रात्रि भोज के लिए कैंटीन की व्यवस्था उपलब्ध करायेगा।
6. किसी महिला कर्मकार को प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे के मध्य या सायंकाल 7 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि के दौरान कार्य करने के लिये बुलाने से पूर्व नियोजक अपने प्रस्तावित प्रबंध के सत्यापन के लिये कारखाने के संबंधित कारखाना निरीक्षक को सूचित करेगा और सत्यापन के लिए क्षेत्रीय कारखाना निरीक्षक को न्यूनतम 07 दिन का समय देगा।
7. नियोजक ऐसे महिला कर्मकारों के बच्चों के लिए नियमानुसार शिशु सदन (क्रैच) की व्यवस्था भी उपलब्ध करायेगा।
8. कारखानेदार का यह दायित्व होगा कि महिला कर्मकारों की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था करें और उनके किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के लिये कारखानेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

इस संबंध में कारखानेदार का दायित्व होगा कि रात्रि 10:00 बजे तक महिलाओं को नियोजित करने से पूर्व कम से कम दो माह पूर्व श्रमायुक्त को उक्तानुसार की गयी व्यवस्था की सूचना देगें।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– (1)/VIII/16–91(श्रम)/2008, तद्दिनाँकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रम आयुक्त/मुख्य निरीक्षक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. उप/सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी/देहरादून।
4. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जिला–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की 50 प्रतियाँ असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए इस अनुभाग को एवं 50 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी॰एन॰पन्त,)
उप सचिव।